



LJ-107

LL.B (Part-I)

2nd Semester Examination, July-Dec., 2020

Paper - II

Law of Crime - II

Criminal Procedure Code, 1973 Juvenile Justice
Act 2015 and Probation of Offenders Act 1958

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100
[Minimum Pass Marks : 36

नोट : खण्ड-A तथा खण्ड-B प्रत्येक से कम से कम दो-
दो प्रश्नों को चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। प्र. सं. 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक
समान हैं।

Note : Answer **five** questions in all selecting at least
two questions each from Section-A and
Section-B. Question No. 1 is compulsory. All
questions carry equal marks.

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
- (a) लोक अभियोजक

(2)

(b) कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(c) पीड़ित

(d) महानगर क्षेत्र

Write short notes on the following :

(a) Public Prosecutors

(b) Executive Magistrates

(c) Victim

(d) Metropolitan areas

खण्ड / Section-A

2. पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी ?
वर्णन कीजिए।

When police may arrest without warrant ?
Explain.

3. फरार व्यक्ति के लिए उदघोषणा और कुर्की संबंधी
प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Explain the proclamation and attachment
procedure for person absconding.

4. संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Explain the procedure relating to Summary
Trials.

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत भरण-पोषण
सम्बंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए।

(3)

Explain the provisions relating to maintenance under Criminal Procedure Code, 1973.

खण्ड / Section-B

6. किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Explain the main features of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

7. बालक कल्याण समिति के गठन, प्रक्रिया एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Explain the constitution, procedure and powers of Child Welfare Committee.

8. परीवीक्षा क्या है? किसी अपराधी को कब और किन शर्तों पर न्यायालय अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन परीवीक्षा पर छोड़ सकता है?

What is Probation? When and on what grounds a Court may release an offender on probation under the Probation of Offenders Act, 1958?

9. अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

Explain the main objects of the Probation of Offenders Act, 1958.

(4)

10. गुरुबख्श सिंह सिब्बा बनाम पंजाव राज्य
ए०आई०आर० 1980 सु०को० 1632 बाद के तथ्यों
तथा उसमें प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का वर्णन
कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid
down in the case of Gurubaksh Singh Sibba
Vs State of Punjab AIR 1980, SC 1632.
